N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0181 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 11/07/2025 20:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(a)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 19/05/2025 Date To (दिनांक तक): 10/07/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:00 बजे Time To (समय तक): 12:05 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/07/2025 Time (समय): 19:30 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/07/2025 20:17:04 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 230 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): SHRI JAMBHESHWAR BHOJNALAY, POKARAN NACHNA ROAD, JAISALMER

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): MANGILAL
   (b) Father's Name (पिता का नाम): URJARAM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DEVANIYO KI DHANI, PADASALA, BAPINI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DEVANIYO KI DHANI, PADASALA, BAPINI, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAWAL SINGH		पिता:JETHU SINGH	1. BETINA,POKARAN,SANKRA,JAI
2	RUPARAM		पिता:NANAKRAM	1. SANKARIYA ROAD,INDRA COLONY NACHNA,JAISALMER,JAISALM

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	30000 रूपये भारतीय	30,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	चलन मुद्रा	30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. (स्पेषल यूनिट)जोधपुर विषयः- रिश्वत मागने वाले के विरूध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय,उपरोक्त विशय क्रम मैं मांगीलाल पूत्र श्री ऊर्जाराम जाती जाट उम्र 34 साल निवासी पड़ासला त. ओसियां, जिला जोधपूर निवेदन करता हु कि मेने एक खेत वाके दिधु (नाचना) पर श्री लालुराम पुत्र श्री भैराराम देवासी से पाच साल के लिए ले रखा है। जिसमें ट्युबेल खुदाई, विधुत कनेक्षन आदि समस्त कार्य मेरे द्वारा किये जाने की सादे पेपर पर पढा-लिखी कर रखी है मैने उक्त खेत पर एक टयूबेल खदावा कर विधुत कनेक्षन हेतु डिमाण्ड राशि जमा करवाकर माह मई मेश्री रावलसिंह कनिश्ठ अभियन्ता से विधुत कनेक्षन का स्टीमेन्ट तेयार करवाने एव विधुत कनेक्षन शिघ्र दिलवाने बाबत मिला तो श्री रावल सिहं भाटी विधुत कनेक्शन का स्टीमेन्ट तैयार करने एव विधुत कनेक्षन देने की एवज में 50,000 रू. की मांग की तथा मेरे द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 40,000 रूपये लेने के लिये सहमत हुआ है। मै मेरे जायज काम की एवज में रावल सिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता हु। ऊन्हें रिश्वत लेते हुए रगें हाथों पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरी श्री रावलसिह भाटी से कोई दुशमनी या लेन-देन बकाया नहीं है कानुनी कार्य वाही करावें। दिनांक 19/5/25भवदीय एसडी/-मांगीलाल मांगीलाल पूत्र उर्जाराम जाती जाट उम्र 34 वर्ष ग्राम- पड़ासला (जोधपुर) [redacted]एस.डी. श्री कुलदीप एस.डी पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस एस.डी. ओमप्रकाश चौधरी 02.06.2025 एस.डी. श्री दिनेश भाटी 02.06.2025 कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर दिनांक 19.05.2025 वक्त 0200 पीएम पर परिवादी श्री मागीलाल पुत्र श्री उर्जाराम म्र 34 वर्ष जाति जाट निवासी देवानियों की ढ़ाणी, पड़ासला तहसील बापीणी जिला फलोदी ने कार्यालय भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट मे उपस्थित होकर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों की पेष कर दरियाफ्त पर बताया कि श्री रावलसिंह कनिषठ अभियंता अजासर (नाचना) जिला जैसलमेर बहुत ही शातिर प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो मिलने पर इशारो में रिश्वत राशि की मांग करता है तथा राशि को अपने हाथ में नहीं लेकर अपनी गाड़ी की डेशबोर्ड या अन्य जगह रखवाता या अन्य किसी व्यक्ति को दिलवाता है। साथ ही परिवादी ने बताया कि उक्त रिपोर्ट मेरी स्वंय की हस्तलिखित है। जिसमें अंकित समस्त तथ्य सही है। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अकित तथ्य एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। मन् अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस दिगर राजकार्य में व्यस्त होने से श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री मांगीलाल का परिचय श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस से करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड एवं खेत मालिक एवं परिवादी के बीच खेत किराये पर देने का सादे कागज पर खेत किराये पर लेने की लिखा पढ़ी एवं खेत मालिक द्वारा श्री रावलसिंह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत परिवादी श्री मांगीलाल को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 19.05.2025 को वक्त 0230 पी.एम.पर मन् पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर मय परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात कोलेकर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया व परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया व परिवादी से उसकी रिपोर्ट में अंकित तथ्यो के संबंध में आवशयक पुछताछ की गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट में अकित तथ्यों एवं दरियाफ्त से प्रथम दृश्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लेकर श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री गणेश कुमार कानि. 219 से परिवादी श्री मांगीलाल का आपसी परिचय करवाया गया।तत्पष्चात कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री मांगीलाल एवं श्री गणेश कुमार कानि.219 को कार्यालय का डिजिटल वार्यस रिकार्डर केसंचालन की विधि की समझाईष की जाकर परिवादी व श्री गणेश कुमार कानि. के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। वक्त 0300 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्ड में एक नया

मैमोरी कार्ड डालकर उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर श्री गणेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री मांगीलाल व आरोपी श्री रावलसिंह, जेईएन के मध्य रिशवति राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु परिवादी श्री मांगीलाल व श्री गणेश कुमार कानि. को आवश्यक हिदायत देकर गांव दिधु (नाचना)जिला जैसलमेर की तरफ परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया। वक्त 0800 पीएम पर श्री गणेषकुमार कानि.रिष्वती राषि मांग सत्यापन में गया हुआ मन निरीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप वाॅइस काॅल कर बताया कि परिवादी की संदिग्ध अधिकारी से जरिये फोन वार्ता हुई, वार्ता के दौरान श्री रावलसिंह जेईएन ने बताया कि मैं दो दिन मिटिंग में बाहर हूं, दो दिन बाद आपसे मिलूगां। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि को पुनः कार्यालय आने हेतु निर्देषित कर समस्त हालात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये। दिनांक 20.05.2025 को वक्त 0900 ए.एम. पर श्री गणेश कुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्विच आफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री मांगीलाल, परिवादी के निजी वाहन से कार्यालय से रवाना होकर गांव दिधु जा रहे थे तो रास्ते में रामदेवरा के पास परिवादी श्री मांगीलाल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से काल आने पर मैनें परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई, तो वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को कहा गया कि मैं दो दिन मिटिंग में बाहर हूं। दो दिन बाद में मिलूगां। उक्त वार्ता मैनें डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की है। तत्पशात आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री मांगीलाल को हिदायत किया गया कि संदिग्ध अधिकारी जब भी आपसे सम्पर्क करें तुरन्त मन कानि. को या आपको सूचित करने को कहा है एवं परिवादी को वहीं रूखसत करतत्पष्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच आफ शुदा साथ लेकर उपस्थित आया हूं तथा डीवीआर को मन निरीक्षक पुलिस ने अलमारी में सुरक्षित रखकर अलमारी को लॉक किया गया। दिनांक 21.05.2025 को वक्त 0503 पी.एम.पर परिवादी श्री मांगीलाल ने कानि. श्री गणेश कुमार के मोबाईल पर काल कर बताया कि कल दिनांक 22.05.2025 को संदिग्ध अधिकारी के बताये अनुसार दो दिन पुरे हो जायेगें। इसलिए संदिग्ध अधिकारी रिश्वत राशि मांग की वार्ता कर लेगा आप प्रातः जल्दी रामदेवरा पहुचं जाना। कानि. गणेश कुमार द्वारा परिवादी द्वारा बतायी गई उक्त बात मन निरीक्षक पुलिस को बताने पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के अलमारी से निकालकर आवशयक हिदायत के साथ कानि. श्री गणेश कुमार को सुपुर्द किया गया। कल दिनांक 22.05.2025 को प्रातः जल्दी परिवादी के बताये अनुसार रामदेवरा पहुचने हेतु निर्देषित किया। दिनांक 22.05.2025 को वक्त 0600 पी. एम. पर श्री गणेश कुमार कानि. रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु गया हुआ मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप वाॅईस काॅल कर बताया कि परिवादी श्री मांगीलाल सदिंग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन के बीच रिष्वत राषि मांग की वार्ता हो गई है तथा रिष्वत राषि सोमवार के बाद लेकर बुलाया है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. को निर्देषित किया कि रिष्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने हेतु परिवादी को पाबंद करें एवं परिवादी को वहीं पर छोड़कर कार्यालय में उपस्थित आवें। दिनांक 23.05.2025 को वक्त 0900 एएम पर श्री गणेश कुमार कानि. कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के स्वीचआफ शुदा सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं प्रातः जोधपुर से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के रवाना होकर करीब 1030 एएम पर रामदेवरा पहुचां जहां पर पूर्व से निर्धारित जगह पर परिवादी श्री मांगीलाल उपस्थित मिला। तत्पशात परिवादी के कहेनुसार सदिग्ध अधिकारी के फोन का ईन्तजार करने के लिए परिवादी के गांव दिधु में स्थित उनकी टयूबवेल पर पहुचकर सदिग्ध अधिकारी के फोन का ईन्तजार किया। वक्त करीब 0221 पीएम पर परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति जानने के लिए अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर काल कर वार्ता की, वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी श्री मांगीलाल को एईएन ऑफिस नाचना बुलाया। जिस पर मैं व परिवादी श्री मांगीलाल उनकी मोटरसाईकिल से गांव दिधु स्थित ट्यबवेल से रवाना होकर करीब 0315 पीएम पर एईएन कार्यालय नाचना के पास पहुंचे। जहां पर डिवीआर का स्वीचआन कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के लिए एईएन कार्यालय की ओर रवाना किया तथा मन कानि. अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईन्तजार में वहीं मुकिम रहा। करीब 50 मिनट पशचात परिवादी पुनः मेरे पास उपस्थित आया जिनसे डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीचआफ कर अपने पास सुरिक्षत रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह बहुत शातिर दिमाग का आदमी है जो मुझे एईएन ऑफिस से बाहर बुलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरे ट्यूबवेल के विधुत कनेक्शन बाबत एस्टीमेंट तैयार कर शीघ्र कनेक्शन करवाने की एवज में 50,000 रूपये बतौर रिशवत मांगने की वार्ता हुई है। जिस पर परिवादी द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर 40,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ है तथा मांगी गई रिश्वत राशि आने वाले सोमवार के बाद देने की बात कही है। उक्त वार्ता डीवीआर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड है। परिवादी मांगीलाल को आपके निर्देशानुसार वहीं पर छोड़कर रिशवत में दी जाने वाली रिशवत राशि की व्यवस्था करने हेतु निर्देषित किया गया। तत्पशात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी श्री मांगीलाल व संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन के मध्य हुई रिशवत राशि मांग की वार्ता सुनने के लिए डीवीआर का स्वीच आन कर वार्ता

सुनी गई तो कानि. द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई। समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिकार्ड वार्ता को सुना गया। रिकार्ड वार्ता में रिश्वती राशि मांग को और स्पष्ट करवाना आवशयक होने के कारण तथा ब्यूरो मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 366 दिनांक 20.02.2025 एवं 939 दिनांक 19.05.2025 में प्रदान किये गये दिशा-निर्देशो की पालना में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारामन निरीक्षक पुलिस को निर्देषित फरमाया गया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन की और स्पष्ट वार्ता करवाकर एक बार और रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवावें। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस ने डीवीआर मे लगा मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद लिफाफे मे डालकर अपने पास अलमारी में सुरक्षित रखा एवं आईन्दा रिश्वत राशि मांग सत्यापन और स्पष्ट वार्ता पुनः करवाने का निर्णय लिया गया। वक्त 0530 पी.एम.पर ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवशयकता होने पर अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर के नाम तेहरीर जारी कानि. श्री देवाराम को देकर रवाना किया गया। वक्त 0615 पीएम पर कानि. श्री देवाराम हमरा दो कार्मिक लेकर उपस्थित आया, उपस्थित आये दो कार्मिकों को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उन्होनें अपना नाम श्री दिनेश भाटी पुत्र स्वर्गीय श्री माणकलाल भाटी उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 19/356 चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] व दूसरे ने अपना नाम श्री कुलदीप पुत्र श्री आनन्द सिंह जाति खटीक उम्र 30 वर्श पेषा नौकरी निवासी गली नम्बर 05 कलाल कालोनी नागोरी गेट के अन्दर जोधपुर हाल वरिष्ट सहायक कार्यालय सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर उप खण्ड जोधपुर प्रथम मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। दोनों कार्मिकों को गोपनीय कार्यवाही में बतौर गवाह रहने के लिए पाबंद कर निर्देशित किया गया मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बुलाने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित आवें ताबाद दोनों कार्मिकों को कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 26.05.2025 को वक्त 0200 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार संदिग्ध अधिकारी से रिश्वती राशि मांग की वार्ता एक बार और करवाकर स्पष्ठ रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने की पालना में मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री गणेश कुमार को परिवादी श्री मांगीलाल से बात करवाने हेतु कहने पर कानि. द्वारा अपने मोबाईल फोन से काल कर परिवादी श्री मांगीलाल से वार्ता करवाई एवं मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मांगीलाल को कहा गया कि संदिग्ध अधिकारी से पुनः एक बार स्पष्ठ रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने वार्ता करनी होगी। जिस पर परिवादी मांगीलाल ने कहा कि अब श्री रावलसिंह जेईएन को कुछ राशि दूंगा तो ही वो वार्ता करेगें तथा दो दिन अपने आप को व्यस्त होना बताया। जिस पर परिवादी श्री मांगीलाल को दिनांक 28.05.2025 को आरोपी को राशि देने हेतु 10,000 रूपये की व्यवस्था करके रखने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 28.05.2025 को प्रातः 10 बजे आपके पास श्री गणेश कुमार कानि. डीवीआर मय नये मैमोरी कार्ड के उपस्थित आयेगा तथा आपके साथ चलकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवायेगा एवं परिवादी को गोपनीयता की आवष्यक हिदायत दी गईं। दिनांक 28.05.2025 को वक्त 0600 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास अलमारी में सुरिक्षत रखे डीवीआर को निकालकर उक्त डीवीआर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर, डीवीआर को कानि. श्री गणेश कुमार को सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु आवशयक हिदायत के साथ गांव दिधु की तरफ रवाना किया गया। वक्त 0630 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस के मोबाइल फोन पर श्री गणेश कुमार कानि. ने वाट्सअप वाईस काल कर बताया कि परिवादी श्री मांगीलाल की संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन से वार्ता हो गई । वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से मांगकर 10,000 रूपये प्राप्त किये तथा शेष राशि 30,000 रूपये बाद में देने की बात कही। जिस पर परिवादी को शेष राशि की व्यवस्था करने हेतु वहीं छोड़कर कानि. श्री गणेष कुमार को कार्यालय पहुचंने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 29.05.2025 को वक्त 0930 ए.एम. पर श्री गणेश कुमार कानि. डीवीआर मय मैमोरी कार्ड स्वीचआफ शुदा कार्यालय उपस्थित आया तथा मन निरीक्षक पुलिस को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया, मैं कार्यालय से प्रातः 0600 एएम पर रवाना होकर करीब 1130 एएम पर गांव दिधु पहुचां, जहां बस स्टेण्ड पर परिवादी श्री मांगीलाल उपस्थित मिला। परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये मन कानि. को पेश किये उक्त नोटो की मन कानि. द्वारा अपने मोबाईल फोन से फोटो खिंचकर उक्त राशि संदिग्ध अधिकारी को देने के लिए आवशयक हिदायत के साथ परिवादी को सुपुर्द किये। ताबाद वहां से मैं व परिवादी श्री मांगीलाल, परिवादी की मोटरसाईकिल से नाचना-पोकरण गांव दिधू में रोड़ के पास ही स्थित मंदिर वाली टयूबवेल के पास में एकान्त में मुकिम रहकर संदिग्ध अधिकारी के काल आने का इन्तजार किया। वक्त करीब 0140 पीएम पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर आन कर संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल पर कालकर वार्ता करने पर वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी को बताया गया कि वह आगे अजासर की तरफ गया हुआ है जब भी दिधु की तरफ आयेगा तो काल कर देगा। उक्त वार्ता डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। वक्त करीब 0532 पीएम पर सदिग्ध अधिकारी का परिवादी के मोबाईल फोन पर काल आने पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन करवा कर वार्ता करवाई तो वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को बताया गया कि मैं मंदिर वाले टयूबवेल के पास नाचना जाने वाली रोड़ पर दो मिनट में पहुचं रहा हूं आप दो मिनट में ही रोड़ पर पहुचें। उक्त वार्ता भी कार्यालय के

डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। ताबाद मन कानि. द्वारा डीवीआर का पुनः स्वीचआन कर परिवादी को सुपुर्द कर आवशयक हिदायत के साथ सदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु रोड की तरफ रवाना किया। कुछ समय पशचात परिवादी पुनः मन कानि. के पास आया तथा डीवीआर को सुपुर्द किया जिसका स्वीचआफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरी ट्यूबवेल का विधुत कनेशन करवाने हेतु स्टीमेंट तैयार कर जल्दी कनेशन करवाने हेतु वार्ता हुई, वार्ता के दौरान मेरे से संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर मेरे द्वारा 10,000 रूपये की व्यवस्था होने की बात कहने पर संदिग्ध अधिकारी ने अपनी गाड़ी के डेशबोर्ड को खोलकर राशि उसमें रखने का इशारा कर राशि रखवा ली है तथा पेश राशि 30,000 रूपये देने की बात हुई है जो वार्ता इस डीवीआर में रिकार्ड है। परिवादी श्री मांगीलाल को आपके निर्देषानुसार पेश राशि 30,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 01.06.2025 को शाम को कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर वहीं छोड़कर उपस्थित आया हूं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को स्वीच आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो श्री गणेश कुमार कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसके काम की एवज में 40,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा 10,000 रूपये उसी वक्त प्राप्त करना एवं पेश 30,000 रूपये आईन्दा देने की वार्ता होकर रिश्वती राशि मांग की पुष्टि हुई। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर सफेद लिफाफे में डालकर अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। समस्त हालात उच्च अफसरान को निवेदन किये। परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा कानि. श्री गणेश कुमार को अपनी तबीयत खराब होना बताया साथ ही दो-चार दिन उपस्थित होने में असमर्थता जताने के कारण अग्रीम ट्रेप कार्यवाही आयोजन दिनांक 02.06.2025 करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 31.05.2025 को वक्त 0500 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही में सदिग्ध अधिकारी के रहवासीय मकान की खाना तलाशी हेतु दो स्वतंत्र आवष्यकता होने के कारण एक-एक कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवं उप पंजियक चतुर्थ पजियंन कार्यालय जोधपुर के नाम अलग-अलग पत्र जारी कर जरिये मोबाईल फोन दो कार्मिकों को पाबंद करवाया गया। दिनांक 01.06.2025 को वक्त 0500 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मांगीलाल को जरिये वाटसअप काल कर निर्देषित किया गया कि संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 30,000 रूपये साथ लेकर दिनांक 02.06.2025 को प्रातः 0500 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आवें साथ ही पूर्व से पाबंदशुदा सार्वजनिक निर्माण विभाग के दोनों कार्मिकों को जरिये वाटसअप काल कर कल दिनांक 02.06.2025 को प्रातः 0530 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया एवं समस्त जाप्ते को भी दिनांक 02.06.2025 को प्रातः 0530 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। साथ ही अतिरिक्त जाप्ते की आवशयकता होने के कारण श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी एसयू जोधपुर से अन्य चैकियों से जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 02.06.2025 को वक्त 0530 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा ब्यूरो चोकी पाली प्रथम से श्री धर्माराम कानि. नम्बर 400 व श्री ताराचन्द कानि. नम्बर 176एवं श्री रमेश कानि. 119 एसीबी चोकी सिरोही से तथा श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 एसीबी चोकी जोधपुर से एसीबी चोकी एसयू जोधपुर में उपस्थित आये एवं साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से श्री नवीन चौधरी पुत्र श्री सुखाराम चौधरी उम्र 30 वर्श पेशा नौकरी निवासी मुण्डों की ढ़ाणी मेहराम नगर जनादेसर तहसील धवा जिला जोधपुर हाल जेईएन जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवं उप पंजियन चतुर्थ जोधपुर से श्री सतीश देवड़ा पुत्र श्री भैरूलाल देवड़ा निवासी 5 बी दीपमार्ग पावटा ए रोड़ रेलवे लाईन के पास जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक उपस्थित आये। दोनों कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक महमति प्राप्त की गई। तत्पष्चात उपरोक्त अन्य चैकियों से आया जाप्ता एवं दोनों स्वतत्रं गवाहान को श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस एसीबी इन्टें जोधपुर से सम्पर्क करवाया गया एवं अग्रीम निर्देषों के इन्तजार में मुकिम किया गया। वक्त 0540 ए.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल के बताये अनुसार संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन का रहवासीय मकान जैसलमेर शहर में होने के कारण श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस एसीबी इन्टें जोधपुर के साथ श्रीमती मधुमति हैड कानि, श्री भंवरलाल हैड कानि., श्री धर्माराम कानि., श्री ताराचंद कानि. एवं श्री रमेश कानि. मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन चौधरी, जेईएन एवं श्री सतीश देवड़ा भू अभिलेख निरीक्षक को जरिये सरकारी वाहन के जैसलमेर के लिए रवाना किया गया साथ ही उन्हें बताया गया कि जैसलमेर पहुंचकर मन निरीक्षक पुलिस से टेलीफोनिक सम्पर्क में रहे ताकि अग्रीम कार्यवाही के बारे में आपको बताया जा सके। वक्त 0545 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री मांगीलाल एसीबी चैकी एसयू जोधपुर के कार्यालय में उपस्थित आया इसी दरिम्यान श्री कुलदीप, वरिष्ट सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर उप खण्ड जोधपुर प्रथम व श्री दिनेश भाटी, कनिस्ट सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर से उपस्थित आये। जिस पर दोनों कार्मिकों एवं कार्यालय में उपस्थित परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों कार्मिकों को मन निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पढ़ाई गई एवं परिवादी श्री मांगीलाल व संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह, जेईएन के मध्य दिनांक 22.05.2025 को व 28.05.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो अलग-अलग मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को सफेद लिफाफो में डालकर अलमारी में सुरक्षित रखे हुए थे को लिफाफो से निकालकर बारी-बारी से

कार्यालय के डीवीआर में डालकर रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंष दोनो कार्मिको को सुनाये गये। परिवादी की रिपोर्ट पढ़कर एवं रिकार्ड वार्ता को सुनकर दोनों कार्मिको ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति दी गई तथा रिपोर्ट पर दिनांकित अपने-अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पष्चात दोनो मैमोरी कार्डो को पुनः सफेद लिफाफो में डालकर अलमारी में सुरक्षित रखे गये। वक्त 06ः10 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रू-ब-रू परिवादी श्री मंागीलाल पुत्र श्री उर्जाराम उम्र 34 वर्ष जाति जाट निवासी देवानियों की ढ़ाणी, पड़ासला तहसील बापीणी जिला फलोदी ने आरोपी श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्काॅम अजासर नाचना जिला जैसलमेर को दी जाने वाली रिश्वत राशि मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री मांगीलाल ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-01.500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 BF 946556,02.500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 RE 336890,03.500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 CG 964003 ,04.500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 QD 800103,05 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 KA 601418,06 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 BC 782627,07 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 RF 753406, 08 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 NS 020220,09 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 DV 958263,10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 QS 400272,11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 CQ 012332, 12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 WK 627517, 13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 SL 320154,14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 AU 229708,15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 CB 465440,16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 EF 920542,17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 CB 792109,18.500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 HC 178327,19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 DN 036199,20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 HF 581180,21 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6AU596440,22 500 रूपये का एक नोट नम्बर5 BS 726181,23 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 UA 234571,24 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 EH 757084, 25.500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 GK 980256,26.500 रूपये का एक नोट नम्बर1 CH 617684,27.500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 AG 214692,28 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 LM 01162629 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 KV 525835,30 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 CT 285361,31.500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 SH 241796, 32 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 VF 558494,33.500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 RK 301052,34.500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 UT 463369,35.500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 HT 638750,36.500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 PW 404427,37.500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 VR 315450,38.500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 NC 639207,39.500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 BG 790276,40.500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 WE 971452,41.500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 EW 243661,42.500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 DH 526948,43.500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 EQ 373148,44.500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 QP 544183,45.500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BW 805520,46.500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 GC 969336,47.500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 BC 479246,48.500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 DT 901181,49.500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 BL 180359,50.500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 AH 910726,51.500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 CH 853992,52.500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 LA 832050,53. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 GG 369247,54.500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 GV 012020,55 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 NR 903525 56. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 NC 463766 57 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 KL 631325,58.500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 KD 612339,59. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 KK 847542 60. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 GG 733206

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 30,000/- रूपये के नोटांे को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 को सुपुर्द कर उक्त नोटों को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मांगीलाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप से लिवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 30,000/-रूपये जो श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्काम अजासर नाचना जिला जैसलमेर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री मांगीलाल के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मांगीलाल को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में छुए नहीं एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवंे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावं। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् पदमपालसिह, निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted]र मिस काल या काल कर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक नये प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में साफ पानी

भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों के अगूठे एवं अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास एव जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार एव प्लास्टिक की गिलास को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री मांगीलाल को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकषी एवं सुपुदर्गी रिश्वत राशि एवं दृश्टांत फिनोफथनील पाउडर मुर्तिब की गई। उक्त कार्यवाही की मोबाईल फोन से विडियोग्राफी करवाई गई। वक्त 0715 एएम पर मन् पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्रीमान ओमप्रकाष चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने निजी वाहन दोनों स्वतन्त्र गवाहानश्री कुलदीप, वरिश्ठ सहायक एवं श्री दिनेश भाटी, कनिश्ठ सहायक परिवादी श्री मांगीलाल ब्यूरो जाब्ता श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि. 67 श्री प्रकाश कानि. 265, श्री कालूराम कानि. 246, श्री गणेशकुमार कानि.219 मय ट्रेप बाक्स, ट्रेप सामग्री, लेपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर तथा डीवीआर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर, डीवीआर साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन चालक श्री खम्माराम एवं प्राईवेट वाहन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय स्पेषल यूनिट जोधपुर से गांव दिधु नाचना जिला जैसलमेर की तरफ रवाना हुए। वक्त 01ः20 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, समस्त हमरायान के कस्बा नाचना से करीब तीन-चार किलोमीटर पहले पहुंचकर सभी वाहनों को रोड़ के साईड में रूकवाकर ब्यूरो जाप्ता को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्रीफ किया गया एवं श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाटसअप काल कर बताया कि आप जिला जैसलमेर पहुंचकर वाहन को गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर अग्रीम निर्देषों के इन्तजार में मुकिम रहने हेतु कहा गया। वक्त 0140 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन की ब्यूरो मुख्यालय से लोकेषन प्राप्त की गई तो संदिग्ध अधिकारी की लोकशन कस्बा नाचना में इंदिरा कालोनी में आयी। जिस पर रूबरू गवाहान के परिवादी श्री मांगीलाल के मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर आन करवाकर संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर काल करवाया जाकर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा गांव दिधु में होना तथा मिलने बाबत पूछने पर श्री रावलसिंह जेईएन ने कहा कि मैं बाहर हूं तथा दो दिन बाद मिलूगां। उक्त वार्ता को डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी ने बताया कि श्री रावलसिंह जेईएन बहुत ही शातिर दिमाग का आदमी है तथा नाचना में उपस्थित होते हुए भी अपने आपको बाहर होना बता रहा है जो कभी भी पुनः फोन कर मुझे रिश्वत राषि प्राप्त करने हेतु बुला सकता है । जिस पर ब्यूरो जाप्ता को वाहनों में बैठाकर उस स्थान से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए अग्रीम आदेष के इंतजार में मुकिम रखा तथा मन निरीक्षक पुलिस भी हमरा स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री मांगीलाल व सरकारी वाहन मय अन्य ब्यूरो जाप्ते के नाचना फांटा से कुछ दूरी पर नहर के पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए संदिग्ध अधिकारी के फोन का इंतजार किया गया। वक्त 0400 पीएम तक मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के संदिग्ध अधिकारी के फोन का इंतजार करते रहे मगर संदिग्ध अधिकारी का फोन नहीं आने पर परिवादी श्री मांगीलाल को संदिग्ध अधिकारी की गोपनीय जानकारी करने हेतु कहा गया जिस पर श्री मांगीलाल ने गोपनीय रूप से जानकारी कर बताया कि श्री रावलसिंह जेईएन डिस्काम के कार्यालय व अन्य संभावित स्थानों पर उपस्थित नहीं है इस प्रकार आज टेªप कार्यवाही संभव नहीं होने के कारण आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री मांगीलाल की पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाई गई रिशवती राषि 30,000 रूपये गवाह श्री कुलदीप से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाई जाकर उसी के पास सुरक्षित रहने दिये गये। परिवादी श्री मांगीलाल को हिदायत दी गई कि जब भी संदिग्ध अधिकारी आपसे सम्पर्क करे या रिष्वती रापि लेकर वुलावे तो तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन पर सूचित करें। तत्पष्चात परिवादी को आवशयक हिदायत के साथ वहीं पर रूखसत किया गया। वक्त 0425 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस, द्वारा जरिये वाटसअप काल कर श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिम मय समस्त हामरायान के पुनः कार्यालय में पहुचनें का कहकर मन निरीक्षक पुलिस,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समस्त हमारायान के मय ब्यूरो जाप्ते के सरकारी, निजी एवं प्राईवट वाहनों के नाचना फांटा से जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 0900 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस, हमरा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक, व श्री दिनेष भाटी कनिश्ठ सहायक मय ब्यूरो जाब्ता श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिषोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि., श्री प्रकाष कानि. श्री गणेष कुमार कानि., श्री कालुराम कानि. चालक श्री खम्माराम जरिये सरकारी, निजी एवं प्राईवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर पहुचां। तत्पशात डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित पत्रावली मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। तथा स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाये गये रिष्वती राषि 30,000 रूपये का लिफाफा भी मन निरीक्षक पुलिस ने अलमारी में सुरक्षित रखवाया जाकर अलमारी को लाक करवाया गया। वक्त 0915 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस ने दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत दी जाकर निर्देषित किया गया कि बिना इतला किये अपना मुख्यालय नहीं छोड़े तथा सूचित करने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवें। ताबाद दोनों गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 16.06.2025 को वक्त 1100 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये वाट्सअप वायस काल परिवादी श्री मांगीलाल से वार्ता कर निर्देषित किया गया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री रावलसिंह से सम्पर्क करने का प्रयास करें एवं सम्पर्क होने पर तुरन्त समस्त हालात मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें। वक्त 0900 पीएम पर परिवादी श्री मांगीलाल ने मोबाईल से जरिये वाटसअप वायस काल कर मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैनें मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की तो वार्ता के दौरान संदिग्ध कर्मचारी श्री रावलसिंह ने बताया कि मैं मिलने का समय अपने आप बता दूगां जिस पर परिवादी को निर्देषित किया गया कि आईन्दा सम्पर्क होने पर तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क करें। दिनांक 19.06.2025 को वक्त 10:32 एएम पर मन निरीक्षक पुलिस जरिये फोन परिवादी श्री मांगीलाल से वार्ता कर संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क होने के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री मांगीलाल ने बताया कि अभी तक संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह से सम्पर्क नहीं हुआ है। जिस पर परिवादी को सम्पर्क होने पर शीघ्र सूचित करने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 01.07.2025 को वक्त 0416 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल फोन परिवादी श्री मांगीलाल से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री मांगीलाल ने बताया कि अभी तक संदिग्ध कर्मचारी श्री रावलसिंह ने मेरे से कोई सम्पर्क नहीं किया है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी की आप संदिग्ध कर्मचारी श्री रावलसिंह जेईएन से सम्पर्क कर बात करने का प्रयास करें। जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं अगले चार-पांच दिन व्यस्त हूं, फ्री होकर सम्पर्क कर बात करूगां, तथा वस्तुस्थिति से आपको अवगत करवाउगां। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 08.07.2025 को वक्त 0803 पीएम पर परिवादी श्री मांगीलाल का मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिसकाल आने पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल फोन परिवादी श्री मांगीलाल से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री मांगीलाल ने बताया कि मेरा संदिग्ध कर्मचारी श्री रावलसिंह से सम्पर्क हो गया है। उन्होने मुझे कल रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 09.07.2025 को 10.30 ए.एम पर अपनी निजी मोटरसाईकिल के कस्बा नाचना से करीब तीन-चार किलोमीटर पहले गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। साथ ही पूर्व से पाबंदषुदा सार्वजनिक निर्माण विभाग के दोनों कार्मिकों को जरिये वाटसअप काल कर कल दिनांक 09.07.2025 को प्रातः 0600 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया तथा सदिग्ध अधिकारी के रहवासीय मकान की खाना तलाषी हेतु दो स्वतंत्र कार्मिक पुनः उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को जरिये वाटसअप काल कर कल दिनांक 09.07.2025 को प्रातः 0600 एएम पर कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया एवं समस्त जाप्ते को भी दिनांक 09.07.2025 को प्रातः 0600 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। वक्त 06.55 एएम पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से श्री नवीन चौधरी जेईएन जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर उपस्थित आये तथा बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण से मुझे ही निर्देषित कर भिजवाया है अन्य कार्मिक भिजवाने मे मजबूरी बतायी। जिस पर उक्त कार्मिक श्री नवीन चौधरी जेईएन को कार्यालय मे उपस्थित श्री गोरधनराम उपअधीक्षक पुलिस से सम्पर्क करवाकर अग्रिम निर्देषो के ईन्तजार मे मुकीम किया गया। वक्त 0710 एएम पर संदिग्ध अधिकारी श्री रावलसिंह जेईएन का रहवासीय मकान जैसलमेर शहर में होने के कारण संदिग्ध अधिकारी के रहवासीय मकान की खाना तलाशी हेतु श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस एसीबी इन्टें जोधपुर के साथ श्री अचलाराम हैड कानि., देवाराम कानि., मय स्वतंत्र गवाह श्री नवीन चौधरी, को जरिये प्राईवेट वाहन के जैसलमेर के लिए रवाना किया गया साथ ही उन्हें बताया गया कि जैसलमेर पहुंचकर मन् निरीक्षक पुलिस से टेलीफोनिक सम्पर्क में रहे ताकि अग्रीम कार्यवाही के बारे में आपको बताया जा सके। वक्त 07.30 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदागवाहान श्री कुलदीप, वरिश्ठ सहायक एवं श्री दिनेष भाटी, कनिश्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी का ताला खोलकर रिश्वती राशि 30,000 रूपये का लिफाफा स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से अलमारी से निकलवाकर उनके पास सुरक्षित रखवाया गया। वक्त 0827 ए.एम पर मन् पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, हमराह श्रीमान ओमप्रकाष चैधरी अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक मय रिष्वती राषि 30,000 रूपये का लिफाफा के एवं श्री दिनेष भाटी, कनिश्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता, श्री रामकिषोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री कालूराम कानि. 246, श्री गणेष कुमार कानि. 219 मय ट्रेप बाॅक्स, ट्रेप सामग्री, लेपटाॅप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर तथा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड साथ लेकर जरिये सरकारी बोलेरो वाहन चालक श्री प्रकाष कानि. 265 केएव श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय स्पेषल यूनिट जोधपुर से गांव दिधु नाचना जिला जैसलमेर की तरफ रवाना हुए। वक्त 12.50 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, समस्त हमरायान के सरकारी एव निजी वाहन से कस्बा नाचना से करीब तीन-चार किलोमीटर पहले पहुंचे जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मांगीलालअपनी निजी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिलाजिस पर वाहनांे को रोड़ के साईड में गोपनीय रूप से सुरक्षित खड़ा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी श्री रावलसिह् जेईएन कीउपस्थिती के बारे में पुछा तो परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से मालुमात कर बताया कि श्री रावलसिह् जेईएन अपने कार्यालय में नही होकर फील्ड में गये हुए है जो अपने सरकारी आवास परं शाम को 07.00 पीएम पर मिलेंगे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मयसमस्त हमरायान के श्री रावलसिह् जेईएन के अपने सरकारी आवास पर आने के ईन्तजार में एकान्त स्थान पर जाकर मुकिम रहे। तथा श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाटसअप काॅल कर बताया कि आप जैसलमेर में वाहन को गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर अग्रीम निर्देषों के इन्तजार में मुकिम रहे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को निर्देषित किया गया कि कार्यवाही की प्रगति से समय समय पर मुझे अवगत कराते रहे तावाद अपने निजी वाहन से गोपनीय स्थान की तरफ रवाना हुए। वक्त 07.35 पीएम पर परिवादी श्री मांगीलाल ने गोपनीय रूप से मालुमात कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री रावलसिह् जेईएन अपने सरकारी आवास में आ गये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की जामा तलाशी श्री दिनेष भाटी, कनिश्ठ सहायक से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपनी मोटरसाईकिल की चाबी व मोबईल फोन के अलावा कोई वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखे रिष्वती राषि 30,000 रूपये के लिफाफे में से श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से रिश्वती राशि 30,000 रूपये बाहर निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में रखवाकर रिश्वत राश‍ि के लिफाफे को श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से जलाकर नष्ट करवाया गयातथा उनके हाथ साबुन व साफ पानी से धुलयाये गये। तत्पश्चात परिवादी व श्री गणेशकुमार कानि. को श्री रावलसिह् जेईएन के सरकारी आवास के पास गोपनीय स्थान पर मिलने की हिदायत कर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से कस्बा नाचना स्थित श्री रावलसिह् जेईएन केे सरकारी आवास की तरफ रवाना कर उनके पिछे-पिछे मन् निरीक्षक पुलिस, समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के रवाना कस्बा नाचना की तरफ हुआ। वक्त 07.50 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, समस्त हमरायान के कस्बा नाचना में स्थित आरोपी के सरकारी आवास के पास गोपनीय स्थान पर पहुचे जहा पर परिवादी व श्री गणेशकुमार कानि. उपस्थित मिले जिस पर सरकारी वाहन को रोड़ के साईड में खड़ा करवाकर परिवादी श्री मांगीलाल को आवश्यक हिदायत देकर श्री गणेशकुमार कानि. से कार्यालय का डीवीआर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाकर रिश्वत राशि लेन-देन करने हेतु परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से श्री रावलसिह् जेईएन के सरकारी आवास की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के आरोपी श्री रावलसिह् जेईएन के सरकारी आवास के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के ईन्तजार में मुकिम हुऐ। वक्त 08.05 पीएम पर परिवादी श्री मांगीलाल बिना कोई ईशारा किये अपनी निजी मोटरसाईकिल के आरोपी श्री रावलसिह् जेईएन के सरकारी आवास से मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व कार्यालय का डीवीआर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया की मै आपके पास से रवाना होकर श्री रावलमिह् जेईएन के सरकारी आवास पर पहुचा जहा रावलसिह् अपने सरकारी आवास के दरवाजे पर खडा मिला जिन्होने दूर से मुझें देखते ही कल सुबह मिलने का कहकर दरवाजा बन्द कर दिया। जिस पर डीवीआर को चालू कर सुना तो परिवादी व आरोपी के मध्य कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाया गया। डीवीआर केा मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा ताबाद अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 10.07.2025 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री मांगीलाल की पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाई गई रिश्वती राशि 30,000 रूपये गवाह श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाई जाकर रिश्वती के लिफाफे को सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड की दराज में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं कल दिनांक 10.07.2025 को 1000 ए.एम. पर कस्बा नाचना के बाहर गोपनीय स्थान पर मिलने की हिदायत कर रूखसत किया गया तथा हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन किये गये। तथा कल दिनांक 10.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने एवं नाचना से कार्यालय की दुरी अधिक होने से कस्बा नाचना के आस-पास गोपनीय स्थान पर रात्रि मुकिम रहने का निर्णय लेकर श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाटसअप काल कर बताया कि अग्रिम कार्यवाही कल दिनांक 10.07.2025 को प्रस्तावित होने के कारण आप जैसलमेर में हीं मुकिम रहे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के वहा से रवाना होकर कस्बा नाचना से कुछ दूरी पर गोपनीय स्थान पर रात्रि मुकीम रहा। दिनांक 10.07.2025 को वक्त 09.30 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखे रिश्वती 30,000/रूपये

के लिफाफे के मय ट्रेप बाक्स, ट्रेप सामग्री के जरिये सरकारी बोलेरो के गोपनीय स्थान से रवाना होकर कस्बा नाचना से करीब तीन-चार किलोमीटर पहले पहुंचा जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मांगीलाल अपनी निजी मोटरसाईकिल के उपस्थित मिला तथा परिवादी को आरोपी श्री रावलसिह की उपस्थिति के बारे मे जानकारी करने हेतु निर्देषित किया गया जिस पर परिवादी मांगीलाल द्वारा अपने स्तर पर संदिग्ध आरोपी श्री रावलसिह की उपस्थिति ज्ञात कर बताया कि श्री रावलसिह कस्बा नाचना स्थित सरकारी आवास पर ही है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेष भाटी, कनिश्ठ सहायक से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपनी मोटरसाईकिल की चाबी व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात सरकारी बोलेरो की डेस्क बोर्ड में सुरक्षित रखे रिश्वती राशि 30,000 रूपये के लिफाफे को स्वतन्त्र गवाहान श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से डेस्क बोर्ड से बाहर निकलवाकर गवाह श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से लिफाफे से रिश्वती राशि 30,000 रूपये बाहर निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में रखवाकर रिश्वत राशि के लिफाफे को श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक से जलाकर नष्ट करवाया गया तथा उनके हाथ साबुन व साफ पानी से धुलयाये गये। तत्पश्चात परिवादी व श्री गणेशकुमार कानि. को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से आरोपी श्री रावलसिह के सरकारी आवास की तरफ रवाना मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के उनके पीछे पीछे रवाना होकर आरोपी के सरकारी आवास के थोडा पहले पहुचे। वक्त 10.00 एएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा डीवीआर को कानि श्री गणेष कुमार को सुपुर्द कर निर्देषित किया कि परिवादी के साथ थोडा आगे जाकर डीवीआर का स्वीच आन कर सुपुर्द करे तथा अपनी उपस्थिति छिपाकर गोपनीय ईशारा का ईन्तजार करे ताबाद परिवादी मांगीलाल एव कानि गणेश कुमार को आरोपी अधिकारी श्री रावल सिह के सरकारी आवास की तरफ रिष्वत राषि आदान प्रदान करने हेतु आवष्यक हिदायत के साथ रवाना किया गया तथा मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के अपनी उपस्थिति छूपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईषारे के ईन्तजार मे व्यस्त हुए। वक्त 10.15 एएम पर परिवादी श्री मांगीलाल बिना कोई गोपनीय ईषारा किये पुनः मन निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया जिस पर परिवादी श्री मांगीलाल को दिया गया डीवीआर पुनः प्राप्त कर स्वीच आफ किया गया। परिवादी ने बताया कि मै व कानि श्री गणेश कुमार आपके पास मे रवाना होकर श्री रावल सिह के सरकारी आवास के थोडा पहले पहुचे जहा पर श्री गणेषकुमार कानि. ने अपने पास रखा डीवीआर स्वीच आन कर मूझे सुपुर्द किया ताबाद मै अपनी मोटरसाईकिल से रावलसिह के सरकारी आवास पर पहुचा तो आवास का मुख्य दरवाजा खुला होकर जाली वाला चिकडोर अन्दर से बन्द मिला तब मैरे द्वारा दरवाजा बजाने पर अन्दर से श्री रावलसिह ने मूझे देखकर कहा कि थोडी देर बाद विष्नोई धर्मषाला के पास जम्भेष्वर भोजनालय पर ही आ रहा हू आप मूझे वही पर मिलना। जिस पर कानि श्री गणेश कुमार को डीवीआर सुपुर्द कर गणेषकुमार एवं परिवादी मांगीलाल को आवष्यक हिदायत देकर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से जम्भेष्वर भोजनालय के लिये रवाना किया तथा कानि श्री प्रकाष को वही श्री रावलसिह के सरकारी आवास के पास ही गोपनीय रूप से खडा रखकर आरोपी अधिकारी के अपने निजी वाहन मे निकलने पर तुरन्त गणेश कुमार को सुचित करने हेतु निर्देषित किया गया ताकि कानि गणेशकुमार डीवीआर का स्वीच आन कर परिवादी को सुपुर्द कर अपनी पोजिशन ले सके। ताबाद मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के सरकारी वाहन से वहा से रवाना होकर नाचना पोकरण रोड पर स्थित जम्भेष्वर भोजनालय के पास पहुचे एव मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गोरधनराम डीवाईएसपी को जरिये वाटसएप काल कर बताया कि श्री रावलसिह कनिश्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्काम अजासर के विरूद्ध ट्रैप कार्यवाही की जा रही है उनके जैसलमेर स्थित आवास की खाना तलाषी ली जानी है अतः आप एक और स्वतंत्र गवाह की व्यवस्था कर शीघ्र उनके निवास पर पहुचे एव श्री रावलसिह के जैसलमेर स्थित आवास का पूर्ण पता डीवाईएसपी को बताया गया एव अग्रिम कार्यवाही की सूचना बाबत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क मे रहे तथा तथा ट्रैप कार्यवाही प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद खाना तलाषी प्रारंभ करे एवमन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान अपनी अपनी उपस्थिति छूपाते हुए संदिग्ध अधिकारी के वहा आने व परिवादी के गोपनीय ईषारे के ईन्तजार मे व्यस्त हुए। वक्त 12.05 पी.एम. पर रूबरू मौतबिरान के परिवादी श्री माँगीलाल पुत्र श्री उर्जाराम उम्र 34 वर्ष जाति जाट निवासी देवानियों की ढाणी, पड़ासला तहसील बापीणी जिला फलोदी ने पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस काल कर किया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा उपरोक्त मौतबिरान एवं ब्यूरो जाप्ता के पोकरण नाचना रोड़ पर स्थित श्री जम्भेश्वर भोजनालय नाचना पर पहुचां जहां पर परिवादी श्री मांगीलाल के सामने कुर्सी पर जिन्स पेंट एवं गे्र कलर की कमीज पहने हुए एक व्यक्ति बैठा मिला। परिवादी से पूर्व में दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी मांगीलाल द्वारा सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता है जिन्होनें मेरी किराये की टयूबवेल पर विधुत कनेक्शन करने की एवज में रिश्वत राशि 30,000 रूपये की मांगकर होटल श्री जम्भेश्वर भोजनालय पर कार्यरत श्री रूपाराम को दिलाये है। जो राशि रूपाराम द्वारा आरोपी श्री रावलसिंह के कहने पर मेरे से प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेट की बार्यी जेब में रखे है। जिस पर परिवादी के सामने बैठे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व समस्त हमरायान का परिचय देकर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम रावलसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी गांव बेतीणा तहसील पोकरण पुलिस थाना साकड़ा जिला जैसलमेर

हाल आर-3/132 केवी जीएसएस इंदिरा गांधी काॅलोनी के सामने जोधपुर रोड़ जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम नाचना जिला जैसलमेर होना बताया है। जिस पर श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता से परिवादी श्री मांगीलाल की ओर ईशारा कर पूछा गया कि आप इसे जानते है तथा अभी कोई राशि मांगकर किसी को दिलवाई है तथा दिलवाई गई राशि किस बात की दिलवाई गई है। जिस पर श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता कुछ देर चुप रहकर बताया कि मैनें कोई राशि प्राप्त नहीं की है और ना ही किसी को दिलवाई हैं जिस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपी रावलसिंह के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि श्री रावलसिंह झूठ बोल रहे है इन्होनें मेरे नाचना सरहद में स्थित किराये के खेत जो मैनें श्री लालाराम पुत्र श्री भैराराम दिनांक 07.12.2023 को सादे कागज पर लिखा पढ़ी कर पांच वर्ष के लिए किराये पर ले रखा है। लिखा-पढ़ी के अनुसार अन्य शर्तो के साथ ही टयूबवेल खुदवाकर विधुत कनेक्शन मेरे द्वारा करवाने की शर्त लिखा पढ़ी में कर रखी है। वर्ष 2020 में खेत मालिक श्री लालाराम के द्वारा अपने नाम कृषि कनेक्शन हेतु एक फाईल लगा रखी थी जो वर्ष 2023 में सामान्य श्रेणी में कृषि विधुत कनेक्शन हेतु सूचीबद्ध होकर डिमाण्ड जारी होने पर मेरे द्वारा दिनांक 12.12.2023 को 43,300/-रूपये जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। माह मई 2025 में श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता से मेरे उक्त किराये के खेत पर विधुत कनेक्शन का एस्टीमेंट तैयार करवाने एवं विधुत कनेक्शन शीघ्र करवाने हेतु मिला तो श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता ने विधुत कनेक्शन का एस्टीमेंट तैयार करने एवं विधुत कनेक्शन देने की एवज में मेरे से 50,000 रूपये की मांग की। मैनें राशि कम करने का निवेदन करने पर श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता मेरे से विधुत कनेक्शन का एस्टीमेंट तैयार करने एवं विधुत कनेक्शन देने की एवज में 40,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए तथा दिनांक 28.05.2025 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन मेरे से बतौर रिश्वत 10,000 रूपये प्राप्त किये तथा आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे विधुत कनेक्शन का एस्टीमेंट तैयार करने तथा विधुत कनेक्शन देने की एवज में 30,000 रूपये मांगकर श्री जम्भेश्वर भोजनालय नाचना पर कार्यरत श्री रूपाराम को दिलवाये है जो राशि श्री रूपाराम ने श्री रावलसिंह के कहेनुसार मेरे से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायीं जेब में रखी है तथा सामने ही जम्भेश्वर भोजनालय के गेट पर खडे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री रूपाराम है जिन्होने श्री रावलसिहं के कहेनुसार मेरे से 30,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायीं जेब में रखे है। जिस पर श्री रावलसिंह से उक्त राशि दिलवाने के बारे में पुनः पूछने पर रावलसिंह कुछ नहीं बोलकर निरूत्तर रहा। परिवादी के बताये अनुसार श्री जम्भेश्वर भोजनालय के मुख्य द्वार पर खड़े व्यक्ति को पास बुलाकर मन निरीक्षक पुलिस एवं समस्त हमारायान का परिचय देकर उनसे उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी साकड़िया रोड़ इंदिरा काॅलोनी नाचना जिला जैसलमेर हाल होटल कर्मचारी श्री जम्भेश्वर भोजनालय नाचना होना बताया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की ओर ईशारा कर बताया कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो तथा आपने अभी कोई इनसे राशि प्राप्त की है जिस पर श्री रूपाराम होटलकर्मी ने बताया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं मगर श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता जो अक्सर मेरी होटल पर चाय-नाश्ता करने के लिए आते रहते है मेरे जानकार है जिनके कहने पर मैनें 500-500 रूपये का एक बंडल कुल राशि 30,000 रूपये इस व्यक्ति से प्राप्त कर मेरी पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायीं जेब में रखे है। जो राशि मैनें गिनी नहीं है श्री रावलसिंह कि कहेनुसार 30,000 रूपये होने की जानकारी है। जिस पर रूपाराम को उक्त राशि परिवादी श्री मांगीलाल से किस बात की प्राप्त की है के बारे में पूछने पर उसने कहा कि उक्त राशि किस बात की है मुझे जानकारी नहीं है मगर श्री रावलसिंह कनिष्ठ अभियंता के कहने पर मैनें राशि प्राप्त की। उक्त स्थान नाचना-पोकरण मुख्य रोड होकर भीड़भाड़ का इलाका होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से श्री रूपाराम के दोनों हाथ कलाई के उपर से उपस्थित जाप्ते से पकड़वाये जाकर श्री रूपाराम व श्री रावलसिंह को सरकारी वाहन में बिठाकर हमरा जाब्ता एवं मौतबिरान के वहां से रवाना होकर पैदल व सरकारी वाहन से पास ही पुलिस थाना नाचना पहुचां जहां पर उपस्थित डयूटी अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई एवं आरोपी श्री रावलसिंह एवं सह आरोपी श्री रूपाराम से परिवादी से राशि दिलवाने एवं प्राप्त करने के बारे में पूछने पर उपरोक्त तथ्य ही बताये जिनका परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा उपरोक्तानुसार ही खण्डन किया गया। तत्पश्चात सरकारी वाहन से टेªप बाक्स मंगवाकर सह आरोपी श्री रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी साकड़िया रोड़ इंदिरा कालोनी नाचना जिला जैसलमेर के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रेप बाक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री रूपाराम के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री रूपाराम के दायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को मटमैला

होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री रूपाराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप, वरिष्ठ सहायक से लिरवाने पर सह आरोपी श्री रूपाराम के पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायीं जेब में 500-500 रूपये का एक बंडल मिला जिसे गवाह श्री कुलदीप मे गिनवाने पर कुल राशि 30,000/-रूपये होना राशि पाई गई। गवाह श्री दिनेश भाटी, कनिष्ठ सहायक को पूर्व से मुर्तिबा फर्द पेशकशी सुपुर्द कर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बरामद हुई रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त बरामदा नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर उक्त भारतीय मुद्रा 30,000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। सह आरोपी श्री रूपाराम की जामा तलाशी मे ही उनकी पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में एक सिलवर रंग का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। उक्त मोबाईल फोन में दो सिम लगी हुई पाई गई। एक एयरटेल कम्पनी जिसके नम्बर [redacted] दूसरी सिम जीओ कम्पनी के जिसके नम्बर [redacted] एवं आईएमईआई नम्बर [redacted] है। उक्त मोबाईल की प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने के कारण श्री रूपाराम को पुनः सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल सह आरोपी श्री रूपाराम के पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उनके पहनने के लिए एक अन्य लोवर की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बाक्स में से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल सह आरोपी की पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायीं जेब को उल्टाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त हल्का गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त की गई धोवन की कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त पेंट की बायीं जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रावलसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी गांव बेतीणा तहसील पोकरण पुलिस थाना साकड़ा जिला जैसलमेर हाल आर-3/132 केवी जीएसएस इंदिरा गांधी कालोनी के सामने जोधपुर रोड़ जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम नाचना जिला जैसलमेर की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश भाटी से लिरवाई जाने पर उसके पास उनकी पहनी हुई जिन्स पेंट की आगे की दायीं जेब में एक काले रंग का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। जिसमें एक सिम लगी हुई पाई गई। जो जीओ कम्पनी की जिसके मोबाईल नम्बर [redacted] एवं आईएमईआई नम्बर [redacted] है, उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में वांछित होने के कारण कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही मुर्तिब कर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 03.05 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो जाप्ते के श्री प्रकाश कानि, श्री कालूराम कानि, को ट्रेप कार्यवाही में लिये गये प्रादर्ष, जब्त रिश्वती राशि एवं ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री एवं सहआरोपी श्री रूपाराम को सुरक्षित संभलाया जाकर मन निरीक्षक पुलिस मय अनुसंधान सामग्री के हमराह आरोपी श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मांगीलाल को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन से घटनास्थल के लिये रवाना हुआ। वक्त 03.10 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के उपरोक्त फिकरा का रवानासुदा घटनास्थल नाचना पोकरण रोड पर स्थित श्री जम्भेष्वर भोजनालय पर पहुचा एव मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मांगीलाल की निषादेही पर रूबरू मौतबिरान के घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के आरोपी श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता के सरकारी आवास की खाना तलाशी हेतु सीएडी कालोनी नाचना को रवाना हुआ। वक्त 03.55 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के आरोपी रावलसिह के आवास सीएडी कालोनी नाचना सरकारी क्वार्टर नम्बर 1 पहुचा एवं आरोपी श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता एवं गवाहान के समक्ष आरोपी के सरकारी आवास की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के जरिये सरकारी बोलेरो के पुलिस थाना नाचना उपस्थित आया व ट्रेप कार्यवाही में लिये गये प्रादर्ष, जब्त रिश्वती राशि एवं ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री एवं सहआरोपी श्री रूपाराम को स्वंय के जिम्मे लिया। वक्त 0530 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के पेंडिंग कार्य से संबधित पत्रावली के बारे मे पता करने पर ज्ञात हुआ कि परिवादी के कार्य से संबधित खेत मालिक श्री लालाराम

द्वारा कृशि कनेक्षन हेतु किये गये आवेदन की पत्रावली सबंधित सहायक अभियन्ता नाचना के कार्यालय मे है। जिस पर सहायक अभियन्ता के कार्यालय मे पदस्थापित श्री रामवीर मीणा कनिश्ठ सहायक को जरिये फोन निर्देषित किया कि लालाराम की विधुत कनेक्षन पत्रावली की प्रमाणित प्रति एव आरोपी श्री रावलसिह का सेवा विवरण उपलब्ध करावे। वक्त 06.15 पी.एम. पर अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी रावलसिह कनिश्ठ अभियन्ता के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 एव धारा 61 बीएनएस 2023 का प्रथम दृश्टया प्रमाणित पाया जाने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मोतबिरान जरिये फर्द आरोपी श्री रावलसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी बेतीणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल निवासी सरकारी आवास क्वार्टर नम्बर 1 सीएडी कालोनी नाचना हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम नाचना जिला जैसलमेर को उसके द्वारा किये गये जुर्म उपरोक्त से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। वक्त 06.30 पी.एम. पर अब तक की गई कार्यवाही से सहआरोपी रूपाराम के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 एव धारा 61 बीएनएस 2023 का प्रथम दृश्टया प्रमाणित पाया जाने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मोतबिरान जरिये फर्द सहआरोपी श्री रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 वर्श निवासी संकडिया रोड इंदिरा कोलोनी नाचना जिला जैसलमेर (होटलकर्मी) को उसके द्वारा किये गये जुर्म उपरोक्त से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। वक्त 0730 पी.एम. पर कार्यालय सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्काम नाचना जिला जैसलमेर के पत्र क्रमांक 675-76 दिनांक 10.07.2025 के जरिये आरोपी श्री रावलसिह का क्रमषः सेवा-विवरण एव परिवादी के पेण्डिग कार्य से संबधित विधुत कनेक्षन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति सहायक अभियन्ता कार्यालय के कार्मिक द्वारा पेष की गई। वक्त 0800 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंताव सहआरोपी श्री रूपाराम, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मांगीलाल, ब्यूरो दल के फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर, डीवीआर को साथ लेकर मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के पुलिस थाना नाचना से ब्यूरो चैकी एसीबी एसयू जोधपुर के लिए रवाना हुआ। दिनांक 11.07.2025 को वक्त 1230 ए. एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के एसीबी एसयू जोधपुर के कार्यालय में पहुंचा एवं कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श सह आरोपी श्री रूपाराम के दोनों हाथों के धोवन की चार शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 01, आर.एच. 02 तथा एल.एच. 01 व एल.एच. 02 रिश्वती राशि बरामदगी स्थल सहआरोपी श्री रूपाराम के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की बांयी जेब की धोवन की शील्ड शुदा शीशीया मार्क पी 01, पी 02, सहआरोपी श्री रूपाराम के पहनी हुई जिन्स पेन्ट का कपडे़ की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, बरामदा रिश्वती राशि 30,000 रूपये जो कोने से कपडे़ में शील्ड चिट शुदा एव एक काले रंग का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल मय एक सिम को मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा जो मालखाना प्रभारी अचलाराम हैड कानि. के उपस्थित आने पर उन्हे सुरक्षित हालत में संभलाया जाकर जमा मालखाना करवाया जायेगा। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड तथा कार्यवाही से संबधित पत्रावली मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को रात्रि अधिक होने के कारण कार्यालय में ही विश्राम करने की व्यवस्था की गई। वक्त 01.20 ए.एम.पर श्री अयूब खान उप निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाप्ता श्री कालूराम कानि. नम्बर 246, आरोपीगण श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता एवं सहआरोपी श्री रूपाराम का मेडिकल चैकअप करवाने एवं सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान चिकित्सा अधिकारी राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर आयुक्तालय जोधपुर-पूर्व के नाम पृथक-पृथक तेहरीर जारी कर मय श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता व सहआरोपी श्री रूपाराम पुलिस के सरकारी वाहन बोलेरो के सेटेलाईट हास्पिटल पावटा जोधपुर एवं पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर के लिए रवाना किया। वक्त 0200 ए.एम. पर श्री अयुब खान उप निरीक्षक मय जाब्ता व सरकारी बोलेरो वाहन के आरोपी श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता व सहआरोपी श्री रूपाराम को बाद चिकित्सक परीक्षण के पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर की हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर एवं कानि. श्री भीमसिह कानि. एसीबी चैकी जोधपुर शहर की ड्यूटी मामूर कर बाद उक्त कार्यवाही के कार्यालय हाजा उपस्थित आये एवं चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर की रोजनामचाआम की रपट प्राप्त की गई। वक्त 0515 ए.एम पर श्री अचलाराम हैड कानि 67 मालखाना प्रभारी जो कि श्री गोरधनराम उपअधीक्षक पुलिस के साथ आरोपी श्री रावलसिह के जैसलमेर स्थित रहवासीय मकान की खाना तलाशी मे गया हुआ उपस्थित आया जिन्हे कार्यवाही में लिये गये प्रादर्श सहआरोपी श्री रूपाराम के दोनों हाथों के धोवन की चार शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 01, आर.एच. 02 तथा एल. एच. 01 व एल.एच. 02 रिश्वती राशि बरामदगी स्थल सहआरोपी श्री रूपाराम के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की बांयी जेब की धोवन की शील्ड शुदा शीशीया मार्क पी 01, पी 02, सहआरोपी श्री रूपाराम के पहनी हुई जिन्स पेन्ट का कपडे़ की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, बरामदा रिश्वती राशि 30,000 रूपये जो कोने से कपडे़ में शील्ड चिट शुदा एव एक काले रंग का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल जिसे आईएमईआई नम्बर [redacted] मय एक सिमनम्बर [redacted] को मालखाना प्रभारी अचलाराम हैड कानि.के़ सुरक्षित हालत में संभलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 0530 ए.एम. पर परिवादी श्री मांगीलाल व दोनो स्वतंत्र गवाहानश्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक एवं श्री दिनेष भाटी, कनिश्ठ सहायक कार्यालय हाजा में उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री मांगीलाल व आरोपी

श्री रावलसिह् कनिष्ठ अभियंता के मध्य दिनांक 19.05.2025 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व एव वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.05.2025 को हुई टेलीफोनिक एव रूबरू वार्ता जो डिजिटल वायस रिकार्डर मे लगे मेमोरीकार्ड मे रिकार्ड है उक्त मेमेारी कार्ड मन निरीक्षक पुलिस के पास लिफाफे मे डालकर सुरक्षित रखा गया को निकालकर एक अन्य डीवीआर मे लगाकर गणेशकुमार कानि. नम्बर 219 से कार्यालय के लैपटाप से जुड़वाकर परिवादी श्री मांगीलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू लैपटाप में लगे स्पीकर की मदद से सुन-सुन रिकार्डिंग वार्तालाप की अक्षरषः फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन पूर्व एव वक्त मांग सत्यापन प्रथम वार्ता तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं परिवादी की व दूसरी आवाज की पहचान आरोपी श्री रावलसिह् कनिष्ठ अभियंता की होना परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमौरी कार्डो को रूबरू गवाहान एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो पैन ड्राईव डब पैन ड्राईव मानते हुए खुली हालत में रखी गई। सील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड की थैली एवं तीनो डब पैन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 0830 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी मांगीलाल, स्वतंत्र गवाहान कुलदीप एव दिनेष भाटी की उपस्थिति मे परिवादी श्री मांगीलाल व आरोपी श्री रावलसिह कनिष्ठ अभियंता के मध्य दिनांक 28.05.2025 को हुई मांग सत्यापन द्वितीय टेलीफोनिक एव रूबरू वार्ता जो मैमोरी कार्डो में रिकार्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड जो एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी में रखा गया है को निकालकर डीवीआर में लगाकर डीवीआर को श्री गणेशकुमार कानि. नम्बर 219 से कार्यालय के लैपटाप से जुड़वाकर परिवादी श्री मांगीलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू लैपटाप में लगे स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर रिकार्डिंग वार्तालाप की अक्षरषः फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन टेलीफोनिक एव रूबरू वार्ता द्वितीय तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं परिवादी की व दूसरी आवाज की पहचान आरोपी श्री रावलसिह् कनिष्ठ अभियंता की होना परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की कम्प्यूटर के माध्यम से तीन पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमौरी कार्डो को रूबरू गवाहान एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो पैन ड्राईव डब पैन ड्राईव मानते हुए खुली हालत में रखी गई। सील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड की थैली एवं तीनो डब पैन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 1030 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस के पास अलमारी में सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 02.06.2025 को वक्त रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व परिवादी श्री मांगीलाल व आरोपी श्री रावलसिह् कनिष्ठ अभियंता के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 10.07.2025 को परिवादी श्री मांगीलाल व आरोपी श्री रावलसिह् कनिष्ठ अभियंता एव सहआरोपी श्री रूपाराम होटलकर्मी के मध्य वक्त रिश्वती राशि लेन-देन हुई रूबरू वार्ता जो डीवीआर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है उक्त डीवीआर मय मेमोरी कार्ड जो मन निरीक्षक पुलिस के पास अलमारी मे सुरक्षित रखा गया है को निकालकर परिवादी श्री मांगीलाल व स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री गणेशकुमार कानि. नम्बर 219 से कार्यालय के लैपटाप मे जुड़वाकर लैपटाप में लगे स्पीकर के माध्यम से सुन-सुन कर समझकर अक्षरषः हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वक्त रिश्वती राशि लेन-देन पूर्व वार्ता एव वक्त लेनदेन वार्ता मुर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं परिवादी की व दूसरी आवाज की पहचान आरोपी श्री रावलसिह् कनिष्ठ अभियंता व तीसरी आवाज सहआरोपी श्री रूपाराम की होना परिवादी श्री मांगीलाल द्वारा की गई। उक्त डीवीआर से तीन पैन ड्राईव तैयार की जाकर तीनो पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालात में रखी गई तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे़ की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद उक्त शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड तीनो डब पैन ड्राईव जो खुली हालत में को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर मालखाना में जमा करवाया गया। वक्त 0100 पी. एम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दौराने टे्प कार्यवाही अपने मोबाईल से करवाई गई विडियोग्राफी की लैपटाप के माध्यम से कार्यालय के श्री गणेशकुमार कानि. नम्बर 219 .से मन निरीक्षक पुलिस के निर्देषन में पेन ड्राईव में सेव करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ताबाद परिवादी श्री मांगीलाल व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कुलदीप वरिश्ठ सहायक एवं श्री दिनेष भाटी, कनिश्ठ सहायक की कार्यवाही में आवश्यता नही होने से कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रावलसिह कनिश्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्काम अजासर नाचना जैसलमेर द्वारा परिवादी मांगीलाल के ग्राम दिधु की सरहद में श्री लालाराम से किराये पर ली गई जमीन पर नया कृशि विधुत कनेशन का तकमीना बनाने एव कनेक्षन शीघ्र करने की एवज मे वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.05.2025 एव 28.05.2025 को 50,000 रूपये रिश्वती की मांग करना परिवादी द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 40,000 रूपये बतौर रिश्वती लेने के लिये सहमत होना तथा उसी रोज 10,000 रूपये बतौर रिष्वत मांगकर प्राप्त करना एव दिनांक 10.07.2025 को वक्त रिश्वती राशि लेनदेन परिवादी श्री मांगीलाल से षेश रही रिश्वती राशि 30,000 रूपये मांगकर सहआरोपी श्री रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 वर्श निवासी संाकडिया रोड इंदिरा कोलोनी नाचना जिला जैसलमेर (होटलकर्मी) को दिलाना जो रिश्वती राशि सहआरोपी द्वारा आरोपी रावलसिह कनिश्ठ अभियन्ता के कहेअनुसार परिवादी

श्री मांगीलाल से प्राप्त कर अपने पहनी हुई काले रंग की जिन्स पेंट की बायी जेब मे रखना जहा से रिश्वती राशि 30,000 रूप्ये ब्यूरो द्वारा रूबरू मौतबिरान बरामद करना, परिवादी का कार्य पेण्डिंग होना आदि आपराधिक कृत्य आरोपी श्री रावलसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी बेतीणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल निवासी सरकारी आवास क्वार्टर नम्बर 1 सीएडी कालोनी नाचना हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम नाचना जिला जैसलमेर एव सहआरोपी श्री रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी संकडिया रोड इंदिरा कोलोनी नाचना जिला जैसलमेर (होटलकर्मी) द्वारा कारित कर प्रथम दृश्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रषटाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 एव धारा 61 बीएनएस 2023 का प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण श्री रावलसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह जाति राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी बेतीणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल निवासी सरकारी आवास क्वार्टर नम्बर 1 सीएडी कालोनी नाचना हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्काम नाचना जिला जैसलमेर एवं सहआरोपी श्री रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 वर्ष निवासी साकडिया रोड इंदिरा कोलोनी नाचना जिला जैसलमेर (होटलकर्मी) के विरूद्ध जुर्म उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेशित की गई। भवदीय (पदमपालसिंह) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पदमपाल सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस में आरोपीगण 1- श्री रावलसिंह पुत्र श्री जेठूसिंह भाटी उम्र 32 साल जाति राजपूत निवासी गांव बेतीणा तहसील पोकरण पुलिस थाना साकडा जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम नाचना जिला जैसलमेर 2- श्री रूपाराम पुत्र श्री नानकराम जाति बंजारा उम्र 21 साल निवासी सांकडिया रोड इन्द्रा कॉलोनी नाचना जैसलमेर हाल होटल कर्मचारी श्री जम्भेश्वर भोजनालय नाचना जैसलमेंर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 214 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1030-33 दिनांक 11.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. सचिव प्रशासन जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एसयू) जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/07/2025 20:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Bulid (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Male	2004				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)